

राजस्थान सरकार  
महिला एवं बाल विकास विभाग

क्रमांक एफ.11 (3) 10/मो./मबावि/99

जयपुर, दिनांक  
3-5-10

परिपत्र

प्रदेश में व्याप्त भीषण गर्मी को देखते हुए यह निर्देशित किया जाता है कि आंगनबाड़ी केन्द्रों पर प्रारम्भिक बाल्यावस्था शिक्षा के लिए उपस्थित बच्चों को नाश्ता एवं पोषाहार 11 बजे तक खिला दिया जावे। इसके पश्चात् बच्चे यदि अपने घर जाना चाहें अथवा उनके परिजन उन्हें लेजाना चाहें तो उनकी छुट्टी कर दी जाये। किन्तु यह सुनिश्चित कर लिया जाये कि आंगनबाड़ी केन्द्र विभाग द्वारा निर्धारित अवधि तक खुले रहेंगे। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिका केन्द्र छोड़कर नहीं जायेगी।

यह आदेश 30 जून 2010 तक प्रभावी रहेगा। इसके उपरान्त इसे स्वतः निरस्त माना जाये।

*(Signature)*  
निदेशक

समेकित बाल विकास सेवाएं  
राजस्थान, जयपुर

क्रमांक एफ.11 (7) मो./आईसीडीएस/ 07

जयपुर, दिनांक

32056-63

3-5-10

प्रतिलिपि :- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदया, महिला एवं बाल विकास विभाग, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव महोदया म.बा.वि. जयपुर।
3. वरिष्ठ निजी सहायक, शासन सचिव म.बा.वि. जयपुर।
4. निजी सहायक, निदेशक समेकित बाल विकास सेवाएं, जयपुर।
5. समस्त जिला कलेक्टर जिला .....
6. उपनिदेशक समस्त। उपनिदेशक, महिला एवं बाल विकास विभाग, जिला.....
7. समस्त, बाल विकास परियोजना अधिकारी। परियोजना .....जिला.....
8. कम्प्यूटर शाखा, मुख्यालय।

*(Signature)*  
अति.निदेशक (शिशु)